



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 25, 1980/मघा 5, 1901

No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 25, 1980/MAGHA 5, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रपति सचिवालय

अधि सूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1980

संख्या 25-प्रज/80.—राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सचिवालय की तारीख 8 अगस्त, 1977 की अधिसूचना संख्या 65-प्रज/77 को रद्द करते हैं, जिसके द्वारा 'भारत रत्न', 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण', 'पद्म श्री' नागरिक उपाधियाँ रद्द की गई थीं और यह निवेश वंत है कि उक्त उपाधियाँ तत्काल प्रभावीरूप से पुनःस्थापित हाँ जाएगी।

2. राष्ट्रपति यह भी निवेश वंत है कि उक्त अधिसूचना से, उसमें उल्लिखित उपाधियों की, जो उस अधिसूचना के जारी होने से पहले प्रदान की गयी थीं, किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं माना जाएगा।

कै. सी. माण्डा, राष्ट्रपति के सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 1980

No. 25-Pres./80.—The President is pleased to cancel the President's Secretariat Notification No. 65-Pres/77 dated the 8th August, 1977 by which the Civilian Awards 'Bharat Ratna', 'Padma Vibhushan', 'Padma Bhushan' and 'Padma Shri' were cancelled and to direct that the said Awards shall be re-instituted with immediate effect.

2. The President is also pleased to direct that the said Notification shall not be deemed to have affected in any manner whatsoever the Awards mentioned therein which were granted before the issue of that Notification.

K. C. MADAPPA, Secy. to the President